

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरण्यम

प्रकरण सं० : 52/2022

अनवान :

रमेश पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मामराज जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
2. बनवारी पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
3. राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
4. विद्यादेवी पत्नि स्व० सतवीर पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी तह० भादरा।
5. अजय कुमार पुत्र स्व० सतवीर पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।
6. प्रीतम उर्फ पूनम पूत्री स्व० सतवीर पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी भाडी त० भादरा।
7. सरस्वती उर्फ सुरस्ती पुत्री प्रहलाद पत्नि हेतराम जाति जाट निवासी भाडी हाल निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
8. पाना पुत्री प्रहलाद पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी भाडी हाल निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
9. मीरा पुत्री प्रहलाद पत्नि राजेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा हाल निवासी बुद्धशैली तहसील सिवानी जिला भिवानी हरियाणा।
10. बाला पुत्री प्रहलाद पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा हाल निवासी ढाणी बडी तहसील राजगढ जिला चुरु।
11. जुगतीराम पुत्र धनपत जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
12. बलवीर पुत्र धनपत जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा।
13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा तहसील भादरा।
14. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिद्धमुख जरिये शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिद्धमुख तहसील राजगढ चुरु।
15. एसबीआई बैंक शाखा छानीबडी जरिये शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा छानीबडी तहसील भादरा।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवान सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जाकीर हुसैन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गौजा भाडी के खाता सं० 121/70 के खसरा सं० 123 की 1.6320है०, खसरा सं० 264 की 3.0360है०, खसरा सं० 277 की 3.6300है०, खसरा सं० 415/2 की 5.8440है०, खसरा सं० 731 की 0.6700है० व खसरा सं० 732 की

2.4410 है 0 कुल खसरा 6 की कुल 17.2530 है 0 बरानी वादभूमि में प्रतिवादी सं 0 1 प्रहलाद के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद भूमि में प्रतिवादी सं 0 1 प्रहलाद अकेले की बजाय वादी व प्रतिवादी सं 0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 0 4 ता 6 को संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 0 7 ता 10 ने वादी व प्रतिवादी सं 0 1 ता 6 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



81

(शकुन्ता चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़